सूचना का अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–
1 से 17
वर्ष 2018 से 2020 तक

निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

संरक्षक मण्डलः

1– सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

निर्देशनः

1– श्री आर0 के0 उनियाल, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2– श्री मौ0 गुलफाम अहमद, वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
3– श्री एस0पी0 खाली, अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

सम्पादन/संकलन/समन्वयः

1– श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, संयुक्त निदेशक सूचना अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।
2– श्री नत्थी लाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
3– श्री नरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
4– श्री सुफल सिंह कैन्तुरा, कनिष्ठ सहायक।

सहयोगः

1– श्री रघुनाथ लाल आर्य, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
2– श्री नरवीर सिंह बिष्ट, उप निदेशक, शिक्षक सेवा अनुभाग
3– श्रीमती हेमलता भट्ट, उप निदेशक, विविध/क्रीडा।
4– श्री मेहरबान सिंह बिष्ट, उप निदेशक, सेवा–3 अनुभाग।
5– श्री आर0 पी0 डंडरियाल, उप निदेशक, नियोजन/अर्थ।
6– श्री दलवीर सिंह सोलंकी, परिचारक।
7– समस्त पटल सहायक/कर्मचारी प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।

मैनुअल -01

संगठन की विशिष्टियाँ

कृत्य एवं कर्तव्य

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देशय

ज्ञानं चेतनायाम् निहितम् इस वेदवाक्य के अनुसार "ज्ञान व्यक्ति की चेतना में निहित होता है" और सा विद्या या मुक्तये के अनुसार विद्या व्यक्ति को इसी ज्ञान के माध्यम से मुक्त कर उसे समष्टि में प्रकाशित करती है। स्वामी विवेकानन्द का विचार है–व्यक्ति के अन्दर निहित पूर्णता का उद्घाटन ही शिक्षा है। इस प्रकार से शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के शरीर मन एवं आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूप को प्रस्फुटित कर दे। "शिक्षा" के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी के Educationशब्द का भी यही अर्थ है। शिक्षा संस्कृत की 'शिक्ष' धातु से बना है 'जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना' और शिक्षा शास्त्र इसी मान्यता पर आधारित है।

यद्यपि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त सीखने–सिखाने की इस प्रक्रिया में निरन्तर संलग्न रहता है तथापि प्रत्येक देश अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व आर्थिक आवशयकताओं के अनुरूप अपने नागरिकों के लिए विशेष प्रकार के ज्ञान को सीखने–सिखाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक सुनिश्चित संस्था का निर्माण करता है। इसी औपचारिक शिक्षा पद्धति को प्रारम्भिक शिक्षा अथवा ElementaryEducationकहा जाता है। स्पष्ट है कि लोक प्राधिकरण प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य है– 'व्यक्ति'का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है–

1. 21वीं शताब्दी में शिक्षा विकास का पर्याय।
2. शिक्षा के प्रसार और विस्तार में सरकार की प्रमुख भूमिका।
3. शिक्षा को सामान्य जन से जोड़ने, शिक्षा प्रदान करने के उत्तरदायित्व में सहभागी बनने तथा संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को अंजाम देने हेतु शिक्षा प्रसार में समाज की साझेदारी बढ़ाना।
4. शिक्षा की व्यवस्था, प्रक्रिया और प्रबन्धन में विकेन्द्रीकरण कर पूरी व्यवस्था को नये रूप में ढालना।
5. शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सूचना तकनीकी में छात्र–छात्राओं को कुशल बनाना।
6. इस जनशक्ति को कुशल जनशक्ति के रूप में विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में श्रम के प्रति सम्मान की भावना जगाते हुए उनमें उद्यमिता का विकास कर स्वावलम्बन और स्वरोजगार की ओर उन्मुख करना।
7. मूल्यों के विकास पर विशेष बल देना।
8. समग्र रूप से 6–14 वयवर्ग के बच्चों को सार्वभौम, अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना।
9. विज्ञान/तकनीकी/व्यावसायिक तथा कौशलात्मक माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना।
10. शैक्षिक अवसरों की समानता
11. प्रारम्भिक शिक्षा की सर्वसुलभता
12. प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार/प्रसार
13. शिक्षक की गरिमा का संवर्द्धन
14. शिक्षा की गुणवत्ता का सुनिश्चयन
15. शैक्षिक प्रशासन और प्रबन्धन
16. शिक्षा परक संसाधनों की उपलब्धता

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

उत्तरांचल राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी जनशक्ति के विकास, कला और संस्कृति की समृद्धि, विज्ञान और तकनीकी की नवीनतम उपलब्धियों की वृद्धि और व्यक्ति, विशेषकर विद्यार्थियों के सर्वांगीर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए समुचित शिक्षा व्यवस्था एवं प्रशिक्षण द्वारा मानव मूल्यों को आत्मसात करते हुए उनमें स्वस्थ जीवन जीने तथा रोजगार के लिए कौशल का विकास और इस हेतु संसाधनों के साथ ही साथ प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से शैक्षिक गुणवत्ता और अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रों का विकास करने की दृष्टि है। यह भी दृष्टि है कि समाज के सबसे कमजोर बच्चे को भी ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था करना कि उस बच्चे तक शिक्षा की ज्योति पहुंचे तथा उसे जीवन में सर्वोत्तम उपलब्धियां प्राप्त करने का अवसर मिले।

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

1698 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा कम्पनी व उसके कर्मचारियों के खर्च से अंग्रेजों, ऐग्लों इडियनों, ईसाईयों तथा कम्पनी के कर्मचारियों के लिए मद्रास व बम्बई में कुछ चैरिटी स्कूल खोले गये थे, जिनमें ईसाई धर्म के साथ–साथ पढ़ना लिखना व गणित सिखाया जाता था। 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में यह प्रस्ताव पास हुआ कि कम्पनी की सरकार भारतवासियों की शिक्षा में रूचि ले और इस कार्य के लिए धन खर्च करे। उक्त आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में राज्य शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात हुआ और देश में राजकीय तथा व्यक्तिगत/निजी दोनों प्रकार के शिक्षा संगठनों का बीजारोपण होने से आधुनिक शिक्षा का एक व्यवस्थित रूप भी आरम्भ हो गया।

1835 में मैकाले के विवरण पत्र के साथ ही मैकाले की शिक्षा पद्धति पर आधारित स्कूली शिक्षा ने प्रसार पाया। 19 जुलाई, 1854 में कम्पनी द्वारा सर चार्ल्सवुड के नियंत्रण में स्थापित भारतीय शिक्षा बोर्ड में भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की गयी। 1882 में स्थापित हण्टर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ माध्यमिक शिक्षा के संचालन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गयी।

19 मार्च, 1910 में श्री गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य के रूप में सरकार के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गोखले विधेयक 1911 के नाम से प्रसिद्ध इस विधेयक ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में नवीन क्रान्ति पैदा कर दी। अब सरकार के लिए आवश्यक हो गया कि वह शिक्षा पर फिर से विचार करे। परिणाम स्वरूप 1921 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गयी और 1927 में साइमन कमीसन के आगमन के साथ ही भारत में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की भी पहल की गयी।

1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर 1937 से प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन अथवा वर्धा सम्मेलन में गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रकाश में आयी। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद 1944 में सार्जेन्ट समिति ने अपनी जो रिपोर्ट केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति को सौंपी उसे वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की नीव कहा जा सकता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त राधाकृष्ण समिति तथा मुदालियर कमीशन ने पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन और परीक्षण के आधार पर 29 अगस्त, 1953 को माध्यमिक/उच्च शिक्षा के संबंध में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 1964 में कोठारी आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ते हुए अध्यापक प्रशिक्षण और त्रिभाश सूत्र का प्रस्ताव रखा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को वस्तुतः भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी कदम कहा जा सकता है, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर साक्षरता, उच्च शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय, तकनीकि तथा प्रबन्ध शिक्षा, अनुसंधान विकास, मूल्यांकन प्रणाली तथा शिक्षा के अभिनवीकरण तक प्रत्येक पहलू पर ठोस कार्यकारी सुझाव प्रस्तुत किये गये। 1992 में इसे पुर्नसंशोधित किया गया और इसमें प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, नवोदय विद्यालय, मूल्यांकन एवं परीक्षण सुधार जैसे महत्वपूर्ण घटकों को जोड़ा गया। इसी राष्ट्रीय नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित शैक्षिक ढाँचे के अन्तर्गत सभी कार्य योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। अभिभाजित उत्तराखण्ड में उत्तर प्रदेश की यही शिक्षा व्यवस्था संचालित थी।

09 नवम्बर, 2000 को उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात अपर शिक्षा निदेशक, पर्वतीय के निर्देशन में देहरादून में शिक्षा विभाग का मुख्यालय स्थापित किया गया ।

शासनादेश संख्या 713/माध्यमिक/2003, दिनांक 05 सितम्बर 2003 के द्वारा बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण करते हुए संगठनात्मक स्वरूप निर्धारित किया गया, जिसके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश की शिक्षा के नियोजन, संचालन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, प्रबन्धन एवं अनुश्रवण तथा विभिन्न घटकों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर की स्थापना की गयी, जिसका विभागाध्यक्ष निदेशक, विद्यालयी शिक्षा है।

2.4 संगठन की विशिष्टियाँ

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग उत्तरांचल में कक्षा 1 से 8 तक की व्यवस्था हेतु एक संगठन है। राजकीय प्राथमिक,उच्च प्राथमिक, सहायता प्राप्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक सीधे इस संगठन के नियंत्रणाधीन है। मान्यता प्राप्त विद्यालय को केवल विभाग द्वारा एक नियम के तहत मान्यता प्रदान की जाती है तथा आंग्ल भाषा वाले विद्यालय (ICSEएवं CBSEबोर्ड) को राज्य द्वारा संगठन की अनुशंसा पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के पश्चात् ही विद्यालय संचालन की अनुमति होती है।

उत्तराखण्ड में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग लगभग 45 हजार कार्मिकों वाला सबसे बडा विभाग है। इसका कार्य क्षेत्र समस्त उत्तराखण्ड हैं संगठन का मुख्यालय ननूरखेडा देहरादून है। संगठन के मुखिया, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड है। इसके दो अनुशांगिक संगठन है मण्डल स्तर पर गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में शिक्षा व्यवस्था के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालय स्थापित है, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, अपर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ब्लाक स्तर पर एवं उपखण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी तैनात हैं।

1. वर्तमान में प्रदेश में 15297 राजकीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, 5171 राजकीय मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयसंचालित है। इन विद्यालयों में 1 से 8 तक की कक्षाओं में 398795 लाख बच्चे अध्यनरत हैं। प्राथमिक शिक्षा हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 36396 अध्यापकों के पद सृजित हैं। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्यकीय प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 प्रचलित हैं।

2. वर्तमान में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा की व्यवस्था बेसिक शिक्षा के माध्यम से संचालित की जाती है ।

3. प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में आवागमन की कठिनाई एवं दूर–दूर तक फैले विद्यालय के विकास खण्ड मुख्यालय से कुशल संचालन एवं प्रभावी निरीक्षण एवं नियंत्रण की आवश्यकता है। अतः राज्य के छोटे आकार, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जन घनत्व एवं यातायात की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल महोदय द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा व्यवस्था को एकीकृत करते हुए एक निदेशालय के क्षेत्राधिकार में समग्र रूप से संचालित कर गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को एकीकृत करते हुए एक निदेशालय की स्थापना पृथक से एवं तत् सम्बन्धी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिये एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की गयी है।

शिक्षा की संकल्पना (Concept of Education) शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णतः की अभिवृत्ति है। शिक्षा को शब्द संग्रह अथवा समूह के रूप में न देखकर विभिन्न शक्तियों के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।

शिक्षा शास्त्र (Pedagogy) अनुसार शिक्षा से ही व्यक्ति सही रूप से चिंतन करना सीखता है। तथ्यों के संग्रह रूप में नाम शिक्षा नहीं है। इसका सार मन में एकाग्रता के रूप में प्रकट होना चाहिए।

शिक्षा व्यक्तियों का निमार्ण करती है। चरित्र को उत्कृष्ठ बनाती है और व्यक्ति को सांसारिक करती है। जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वही सही अर्थ में शिक्षा है।

शिक्षा (Education) बालक के नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्विक और आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली एक क्रिया है। शिक्षा सीखना नहीं है, वह मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास है।

कल्याण एवं आत्मिक विकास के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते थे। इस प्रकर प्राचीन शिक्षा का मूल आधार नैतिक शिक्षा (moral education) थी।

प्राचीन शिक्षा (ancient education) में सत्यम् शिवम् सुंदरम् के अनुसार विश्य कल्याणार्थ सदैव सदाचारी चिंतन किया जाता था। ऋषि तपस्या करते थे। छात्र तपस्वी एवं वृत्त बनाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। संयम से रहना उनका प्रमुख उद्देश्य था।

छात्रों में गुरू एवं अपने बडों के लिये आदर एवं शिक्षा भाव था। किन्तु आज की शिक्षा में नैतिकता का अभाव (Lack of morality) है। प्राचीन काल में सम्पूर्ण समाज में गुरूओं का आदर होता था।

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ (Literal meaning of Education)

शिक्षा की परिभाषा–शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में Education कहते हैं। लैटिन भाषा के शब्द Educatum से एजुकेशन शब्द (education word) की उत्पत्ति हुई है।

यह दो शब्द 'e' और duco से मिलकर बना है, जिसमें 'e' का अर्थ 'out of' (अन्दर से) एवं duco का अर्थ to lead forth (आगे बढने से) होता है।

शिक्षा का आधुनिक अर्थ (Modern meaning of Education)

आधुनिक समय में शिक्षा को गतिशील माना गया है तथा अजीवन चलने वाली प्रक्रिया बताया गया है। शिक्षा शब्द (education word) का प्रयोग 3 रूपो से किया जाता है।
1–ज्ञान के लिए।
2–मानव के शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में परिवर्तन हेतु।
3–विषय के लिए शिक्षा विषय के रूप में शिक्षा शास्त्र कहलाता है।